स्कूलों में लड़कियों के लिए
सकारात्मक माहौल

निर्मला वी. जी.

पृष्ठभूमि

भारत के कई ग्रामीण समुदायों में किशोरी लड़कियाँ कमजोर और उपेक्षित अवस्था में रहती हैं। आमतौर पर तो उन्हें यह मानकर खिलाया–पोषित किया जाता है कि वे 'पराया धन' हैं, परिवार पर बोझ हैं, और उन्हें दहेज के साथ दे दिया जाना है। अन्य सामाजिक मिथक भी हैं जो इस भावना को ही सुदृढ़ करते हैं। इसी का नतीजा है कि माता–पिता द्वारा किया जाने वाला भेदभाव स्कूलों में भी लिंग आधारित असमानताओं की शुरुआत करता है। इसीलिए वयस्क लड़कियाँ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षताएँ हासिल नहीं कर पातीं और कमजोर बनी रहती हैं। अपने समकक्षों, माता–पिता तथा समाज से अत्यधिक दबाव में रहते हुए वे आत्मविश्वास भी नहीं रख पातीं।

इस सबको ध्यान में रखें तो लिंग आधारित भेदभाव, जीवन में उपयोगी दक्षताओं, पोषक आहार, स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने की तुरन्त आवश्यकता है। नवयुवतियों द्वारा इन बातों के लिए दायित्व उठाए जाने से इस विचार को बल मिलता है कि आत्मविश्वास निर्णय लेने से पैदा होता है। इन नवयुवतियों के जीवन के लिए आवश्यक है कि वे स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाना तथा विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर पाना और सही निर्णय ले पाना सीखें। यह एक कठिन प्रक्रिया है लेकिन इस जागरूकता के साथ ही वे एक सम्मानजनक जीवन जी पाएँगी।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी. स्कूल) क्यों?

ऊपर कथित परिस्थितियों का सामना कर पाने और उन पर काबू पाने के लिए लड़कियों को आत्मविश्वास विकसित करना होगा और स्वयं के बारे में सकारात्मक छवि बनानी होगी जो निर्णय ले पाने की उनकी दक्षताओं में बेहतरी के लिए मददगार हो, असफल होने के भय से ऊपर उठ पाने में सहायक हो। इस प्रक्रिया को बल देने के लिए भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय' नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत प्रारम्भिक स्तर पर 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल खोले गए हैं जो पिछड़े इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से हैं तथा स्कूल बीच में ही छोड़ चुकी हैं। उद्देश्य है कि समाज के वंचित तबकों की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। उद्देश्य यह भी है कि नामांकन बढ़ाया जाए और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कटौती हो। प्राथमिक स्तर पर ध्यान कुछ अधिक आयु की बालिकाओं पर है जो स्कूल बीच में ही छोड़ चुकी हैं और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाईं। लेकिन कठिनाई वाले कुछ सन्दर्भों में (जैसे एक स्थान पर अधिक समयकाल के लिए न रुकने वाले प्रवासी लोग, अलग–थलग बिखरी हुई बसाहट के इलाके जहाँ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं हैं) उच्च प्राथमिक स्तर पर कम उम्र की बालिकाओं को भी ध्यान में रखा गया है। कुल मिलाकर नियमित स्कूलों में न जा पाने वाली किशोरियाँ ध्यान के केन्द्र में हैं। इन बालिकाओं के के.जी.बी.वी. स्कूलों में आने से पहले एक ब्रिज कोर्स की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि छोटी कक्षाओं में वे या

तो नामांकित ही नहीं हुई होंगी या अनुपस्थित रही होंगी या फिर इन कक्षाओं को बीच में छोड़ गई होंगी।

इन स्कूलों का मूल उद्देश्य है सीखने–सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षक की मदद और सामुदायिक भागेदारी के साथ–साथ स्कूल और कक्षा का वातावरण मुहैया करवाते हुए समावेशी दृष्टिकोण से एक व्यक्ति का विकास करना। इन सबका लक्ष्य के.जी.बी.वी. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने का है।

लेकिन कुछ रुकावटें भी हैं – जैसे, लिंग की परम्परागत परिभाषा और समाज में लड़कियों की भूमिकाओं पर उसका प्रभाव तथा बाल विवाह। प्रत्याशित परिणामों की राह में ये बड़ी बाधाएँ हैं। रीति–रिवाज और समुदायों की गरीबी जैसे सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारण लड़कियों की शिक्षा के मूल्य को और अधिक प्रभावित करते हैं। इस सन्दर्भ में, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, क्योंकि अधिकतर परिवार आय के सहायक साधनों की खातिर उन्हें कठिन श्रम के कामों में लगाए रखते हैं।

उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल करने में लड़कियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें गरीबी, सूचना के उपयुक्त साधनों और स्वास्थ्य सम्बन्धी मसलों पर उपलब्ध जानकारियों तथा आवश्यक संसाधनों की कमी शामिल हैं जिसके चलते सामान्य रोग, अनीमिया, पोषक तत्वों का अभाव और मासिक धर्म की दिक्कतें सामने आती हैं। मासिक धर्म और उससे सम्बद्ध प्रथाएँ अब भी सामाजिक–सांस्कृतिक बन्दिशों में धुंधलाई हुई हैं जिसकी वजह से किशोरियाँ स्वच्छता आदि से सम्बन्धित तथ्यों से अनजान रहती हैं और इसका परिणाम कभी–कभी होता है स्वास्थ्य की समस्याएँ।

आवश्यकताएँ क्या हैं?

के.जी.बी.वी.स्कूलों के सन्दर्भ में बात करें तो सहायक वातावरण का अर्थ है इस प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक मदद जिसके दम पर ये नवयुवतियाँ विकसित हो पाएँ और एक सम्मानजनक, अर्थपूर्ण, उत्पादक तथा खुशी भरा जीवन जी पाएँ। इसका अर्थ है कि बेहतर गुणवत्ता के उपयुक्त कक्षा–कक्ष, होस्टल के कमरे और प्रयोग किए जाने काबिल शौचालय उपलब्ध हों। इनके साथ–साथ सीखने–सिखाने से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री भी हो तो सही अर्थों में सहायक वातावरण बन सकता है। इसके अलावा आवश्यक अकादमिक मदद और मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग मुहैया करवाने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ भी हों ताकि लड़कियों को आवासीय स्कूल में आने के लिए और उनके परिवारों को उन्हें यहाँ भेजने के लिए तैयार और प्रेरित किया जा सके।

पाठ्यचर्या के उद्देश्य उन सामाजिक मूल्यों तथा जीवन के यथार्थों से सम्बद्ध होने चाहिए जिनका सामना लड़कियों द्वारा स्कूल के बाहर किया जाता है – उदाहरण के लिए जल की कमी जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं से शुरू होकर हिंसा तथा अन्य बहुआयामी चुनौतियों से सम्बद्ध मुद्दों की बात। महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि पाठ्यचर्या को किस प्रकार तैयार किया जाए कि लड़की के सामाजिक वातावरण और सन्दर्भ से सम्बोधित हुआ जा सके।

शिक्षकों को इस प्रकार शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है कि वे स्वयं अपने व्यवहार में छुपे, प्रचलित भेदभावपूर्ण सन्देशों को चिह्नित कर पाने के लिए सशक्त हों। यह वे अपने दिन–प्रतिदिन के सम्प्रेषण में करके दिखा सकते हैं और बराबरी तथा न्याय के सन्दर्भ में लड़कियों की सोच के लिए कक्षा में एक आदर्श का काम कर सकते हैं। वे पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धतियों में उन पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए पहलकदमी ले सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप हमारे मौजूदा समाज में असमानताएँ हैं। शिक्षक सीखने–सिखाने की ऐसी प्रासंगिक पद्धतियाँ भी प्रचलन में ला सकते हैं जो इन बच्चों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों तथा सीखने के विभिन्न स्तरों के लाभों और कमियों को सम्बोधित कर पाएँ।

ऐसा वातावरण विकसित करने के साधन

स्थानीय समूहों, गाँवों, स्वयंसेवियों और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शुभ चिन्तकों के सहयोग से एक ऐसी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना जो इन बच्चों के समुदायों के साथ काम कर पाए और महिला शिक्षा के बारे में उनकी समझ में परिवर्तन ला पाए।

के.जी.बी.वी. स्कूलों के लिए लिंग के सन्दर्भ में संवेदनशील रवैया अपनाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, आवश्यक है कि इस योजना को चलाने का दायित्व बहुत ही ध्यान से चिह्नित की गई गैर–सरकारी संस्थाओं को दिया जाए। बेहतर होगा कि इन संस्थाओं द्वारा चिह्नित किए गए शिक्षक उन समुदायों की पृष्ठभूमि से ही हों जिनसे बच्चे आते हैं ताकि वे मुद्दों को सुसंगत तरीके से समझ पाएँ, और सामाजिक स्तर पर उनकी स्वीकृति हो। उनकी उपस्थिति के.जी.बी.वी. स्कूलों के उद्देश्यों को अनदेखा किए बिना समुदाय के साथ अच्छे सम्बन्ध

स्थापित करने में भी मददगार होगी, विशेष तौर से व्यवसाय सम्बन्धी दक्षताएँ प्रदान करने तथा स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में।

इन लड़कियों को खेल और शारीरिक शिक्षा में भी सहायता चाहिए होगी ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और क्षमताओं का विकास हो, जिनकी आवश्यकता उन्हें अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पड़ती है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला और सौन्दर्यशास्त्र से भी परिचित करवाया जा सकता है ताकि वे अपनी रचनात्मकता को खँगालने के लिए प्रेरित हों और अपने नए जीवन को ताजा प्रयोगों और खोजों से निर्मित करें।

कुछ संस्तुतियाँ जो भविष्य में अपेक्षित परिवर्तन ला सकती हैं, इस प्रकार हैं –

मासिक धर्म से सम्बद्ध स्वच्छता के बारे में जागरूकता

किशोरियों को इन स्कूलों में मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना एक महत्त्वपूर्ण कारक है। उपयुक्त प्रशिक्षण में पैड्स के प्रयोग और व्यवस्था, प्रजनन–क्षेत्र में रोग–संक्रमण आदि से सम्बद्ध पक्ष शामिल रहने चाहिए।

सुरक्षित और दोस्ताना माहौल का होना

स्कूल में किशोरियों को एक सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण, निजी और विश्वसनीय माहौल मिलना चाहिए। इसमें पर्याप्त जल, साफ–सुथरे स्नानगृह, व्यक्तिगत बिस्तर और अलग कमरा शामिल हैं ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़कियों की सहायता के लिए स्वास्थ्य और परामर्श कैम्प लगने चाहिए ताकि वे लम्बे दौर में निर्णय ले पाएँ। बाल स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए नियमित तौर पर सघनता से काम करने वाले मंचों के तौर पर सुनियोजित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनने और लागू होने चाहिए। इनके अलावा पोषक आहार और योग कक्षाएँ भी स्वस्थ ताजगी भरे जीवन के लिए आवश्यक हैं।

अन्त में, के.जी.बी.वी. स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में ज्ञान और जानकारी से सम्बद्ध बहुत–सी बातों के लिए तो शिक्षकों और वार्डन की ओर से दोस्ताना हस्तक्षेप की ही आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत गोपनीयता को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बहुत–सी समस्याएँ तो इसकी कमी के चलते ही पैदा होती हैं। सब तथ्य किशोरियों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्बन्धी सुरक्षित और सतर्क प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि उन्हें मासिक धर्म और उससे सम्बद्ध मुद्दों से जुड़ी भ्रान्तियों और बन्दिशों से बाहर लाया जा सके।

निर्मला वी.जी. पिछले एक वर्ष से अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन, कर्नाटक के यादगीर जिला संस्थान में स्रोत व्यक्ति के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे यादगीर जिले में किशोरियों के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए काम कर रही हैं। वे कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबन्धन में डिग्री–प्राप्त। वे पिछले 12 सालों से महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य, आजीविका तथा मानव संसाधन समेत कई क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कामों में सक्रिय रही हैं। उनसे nirmala.vg@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : रमणीक मोहन